न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 27/2016 (223 आर0 टी0 एक्ट)

उनवान

सुखराम दत्तक पुत्र घीसा जाति जाटव निवासी ग्राम खदराया तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

अंगनिया पुत्री घीसा जाति जाटव निवासी ग्राम खदराया तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर दि0 25.06.16 मि.नं. 87/2013 उनवानी अंगनिया बनाम सुखराम।

उपस्थित :–
1. श्री उदयवीर कंसाना अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. अधिवक्ता रैस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 05.02.2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/वादिनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 312/1 रकबा 02 बीघा खसरा नम्बर 423/3 रकबा 01 बीघा 03 विस्वा स्थित वाके ग्राम खदराया तहसील भुसावर में रैस्पो0/वादिनी व अपीलाण्ट/प्रतिवादी वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। किन्तु पिता की मृत्यु के पश्चात् विवादित आराजी का अकन राजस्व रिकार्ड में केवल अपीलाण्ट/प्रतिवादी के दर्ज कर दिया है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में रैस्पो0/वादिनी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल किया जाकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी को स्थाई निषोधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रैस्पो0 को तलव किया गया। वक्त बहस बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद ना तो रैस्पो0 एवं ना ही अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित आये। अतः बहस अपीलाण्ट एकपक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषाक अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमो के कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन डिक्री विधि विरूद्ध एंव पत्रावली पर सिद्ध तथ्यों के विपरीत एवं प्राकृतिक न्यायिक दृष्टांतो के विपरीत पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरंदाज कर अहम कानूनी त्रुटि की है कि राजस्व वाद में जबाव दावा पेश होने पर दावा व जबाव दावा के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम की जानी चाहिए और प्रत्येक तनकी का बिन्दुवार विश्लेषण करते हुए ही दावा का गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करनी चाहिए थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दुओं पर ध्यान नही दिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग ना करके अहम कानूनी त्रुटि की है कि अपीलाण्ट सुखराम विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। उक्त आराजी अपीलाण्ट को जरिए रजिस्टर्ड वसीयतनामा उप पंजीयक वैर के आदेश दिनांक 02.06.1976 के द्वारा प्राप्त हुई है। रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 02.06.1976 के द्वारा ही अपीलाण्ट को खातेदारी हक–हकूक प्राप्त हुए हैं तथा करीब 50 वर्षो से काबिज होकर काश्त कर रहा है। रैस्पों0 का विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2016 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि '' वाद व प्रतिवादी के जबाव के साथ पंजीकृत दस्तावेज का अवलोकन किया। पंजीकृत दस्तावेज में ही अंगनिया पुत्री घीसा जाटव का अंकन है। अन्य कोई साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है'' अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष अति सूक्ष्म एवं शून्य है। पंजीकृत दस्तावेज कौनसा देखा गया एवं उसका दावे में क्या महत्व है का स्पष्ट उल्लेख अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में दिनांक 04.11.2015 को तनकीयात कायम की गई हैं किन्तु अपीलाधीन आदेश तनकीवार नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया अनुसार वाद में तनकीयात कायम होने पर निर्णय तनकीवार किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2016 निरस्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को दावे एवं जबाव दावे के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर, पुनः तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.03.2018 को उपस्थित हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 05.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर